रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938
No. 224] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/CHAITRA 11 , 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016

सा.का.नि. 372(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह "ग" (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन) संवर्ग भर्ती नियम, 2010 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1 (1) इन नियमों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह "ग" (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह "ग" (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन), संवर्ग भर्ती नियमावली, 2010 की अनुसूची में :-

(1) सिपाही (फिटर) के पद के संबंध में क्रम सं. (4) के प्रति, -

(क) कॉलम (1) के अंतर्गत, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(4)" सिपाही (मिस्त्री मोटर वाहन)",

(ख) कॉलम (8) के अंतर्गत मद (i) एवं (ii) के लिए निम्नलिखित मदों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा सरकार से 10+2 परीक्षा पद्धति में मैट्रिक या दसवीं कक्षा पास,

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मिस्त्री मोटर वाहन में 02 वर्षीय प्रमाणपत्र धारक और संबंधित ट्रैड कार्य क्षेत्र में एक साल का व्यावहारिक अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्ष की अवधि का मिस्त्री मोटर ट्रेड में राष्ट्रीय अथवा राज्य प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र और संबंधित ट्रेड क्षेत्र में एक साल का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए,

(ग) कॉलम (12) के अंतर्गत, प्रविष्ट के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

30 वर्ष की आयु तक के "सिपाही (सामान्य ड्यूटी/ट्रेडसमैन) को बेसिक ऑटो फिटर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने एवं सिपाही/(मिस्त्री मोटर वाहन) पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदण्डों को पूरा करने पर शिल्प परिवर्तन किया जा रहा है"

(2) क्रम (7) के प्रति, हवलदार (फिटर) पद के संबंध में, कॉलम (1) के अंतर्गत, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(7) हवलदार (मिस्त्री मोटर वाहन) "

[फा. सं. आर.दो-15/2013 भर्ती (समूह- "ग" आर.आर)]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

नोटः- मूल नियमों को भारत के राजपत्र मे सा.का.नि. 614 (अ) दिनांक 22 जुलाई, 2010 एवं तदनंत्तर संशोधित अधिसूचना को सा.का.नि. संख्या 311(अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2011 सा.का.नि. 356(अ) दिनांक 29 अप्रैल, 2014 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2016

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/Technical/ Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/ Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010,-

   (1) against Sl. No.(4), relating to the Post of Constable (Fitter), -

   (a) under column (1), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

   "(4) "Constable (Mechanic Motor Vehicle)" ;

   (b) under column (8) for items (i) and (ii), the following items shall be substituted, namely:-

   "(i) Matriculate or 10 Class pass in 10+2 examination system from a recognised board or equivalent;

(ii) Possessing 02 years Industrial Training Institutes (ITI) certificate in Mechanic Motor Vehicle recognised by National or State Council for Vocational training or any other recognised institution and one year practical experience in the field of concerned trade.

OR

National or State apprenticeship certificate in Mechanic Motor Vehicle Trade of three year duration from a recognised institution and one year practical experience in the field of concerned trade.";

(c) under column (12), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Constable (General Duty / Tradesmen) upto thirty years of age are being re-mustered after successfully qualifying Basic Auto Fitter Course and fulfilling all other eligibility criteria for direct recruitment for the post of Constable/ (Mechanic Motor Vehicle)."

(2) against serial number (7), relating to the post of Head Constable (Fitter), under column (1), for the entry, the following entry shall be substitute, namely:-

"(7) Head Constable (Mechanic Motor Vehicle)".

[F. No. R.II.15/2013 Recruitment (Group-'C' RRs)]

DINESH MAHUR, Director (Pers)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 614(E) dated the 22nd July, 2010 and subsequently amended vide notification G.S.R. numbers 311 (E), dated the 4th April, 2011; G.S.R. 356(E), dated the 29th April, 2011 and G.S.R. 801(E), dated the 13th November, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.